4685
30/12/2020

न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं...160./2020

प्रार्थी		अप्रार्थी
वेनाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति मेघवाल नि. बरलुट तहसील व जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वंय
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकर सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्ब रेकर्ड में दूरूस्ती करवाने बाबत्।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड आफिसर सिरोही (राज०)

निर्णय

दिनांक 30.12.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अ.धा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत दिनांक 8.12.2020 को पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण ग्राम डोडुआ के जमागंदी खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 43 रकबा 2.80 हैक्टेयर आयी हुअ है जो वीनाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त हूॅ। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उपरोक्त खाते में वीनाराम पुत्र श्री कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट दर्ज है। मेरा वास्तविक शुद्व नाम वेनाराम पुत्र री कुपाजी मेघवाल है। साथ ही मेरे समस्त डोक्युमेण्ट यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचय पत्र, एवं बैक खाता इसी नाम से है तथा इसी नाम से जाना जाता हू। अतः निवेदन है कि उक्त जमाबंदी खाते में प्रार्थी के गलत दर्ज नाम वीनाराम के स्थान पर सही वास्तविक नाम वेनाराम अंकित करवाने के आदेश प्रदयान करना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सलंग्न आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, बैक खाता प्रति का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से न्यायालय में दिनांक 8.12.2020 को दर्ज रजिस्टर होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। हमने उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न उक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन किया ता यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के उक्त वर्णित आधार कार्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचय पत्र एवं बैंक खाता व प्रार्थी का सही नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघष्वाल निवासी बरलुट अंकित है जबकि राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड संधारण करते समय लापरवाही से प्रार्थी के जमाबंदी खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 43 रकबा 2.80 हैक्टेयर की आराजी में प्रार्थी का नाम वीनाराम गलत दर्ज कर दिया है जबकि उपरोक्त दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी मेघवाल निवासी बरलुट अंकित है। उप[illegible] लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा में आने से प्रार्थी का सही वास्तविक नाम उंकित करना [illegible]तीत होता है। अन्यथा प्रार्थी का भविष्य में नाम सुधरवाने में कानूनी अडच[illegible] के आधार [illegible] की मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान से भी गुजरना पड सकता है [illegible] प्रार्थी का [illegible]ना पत्र अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के त[illegible] तहसीलदार सिरोही क[illegible] राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने का न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा डोडुआ तहसील सिरोही की जमाबंदी खाता संख्या 150 के खसरा नंबर 43 रकबा 2.80 हैक्टेयर की कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 15:09:34 IST
Reason: SelfAttested

के गलत दर्ज नाम वीनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट के स्थान पर प्रार्थी का सही वास्तविक नाम वेनाराम पुत्र कुपाजी जाति मेघवाल निवासी बरलुट अंकित/शुद्व दुरूस्त कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावलीर फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

(हँसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30.12.22020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज०) ★
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 15:09:34 IST
Reason: SelfAttested